भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *91
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी चिकित्सकों द्वारा मनमाने ढंग से लिया जाने वाला परामर्श शुल्क

***91. श्री सुधाकर सिंहः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में निजी चिकित्सक रोगियों से जो परामर्श शुल्क वसूलते हैं उसमें अल्पावधि के भीतर अनुवर्ती परामर्श के लिए अलग शुल्क भी शामिल होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने निजी चिकित्सकों द्वारा अनुवर्ती परामर्श के लिए ली जाने वाली फीस के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार रोगियों के हित में कोई नीति या दिशा-निर्देश बनाने का है ताकि कम-से-कम 30 दिनों के भीतर अनुवर्ती परामर्श पर निजी चिकित्सकों को कोई शुल्क लिए जाने से रोका जा सके जिससे प्रभावित रोगियों को राहत मिल सके;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विनियामक तंत्र अथवा मानक नीति बनाने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 24 जुलाई, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *91 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ.): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, जन स्वास्थ्य और अस्पतालों का विनियमन मुख्य रूप से राज्य के विषय हैं। तदनुसार, निजी अस्पतालों, निदान केंद्रों और निजी चिकित्सा प्रैक्टिशनर्स द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों का विनियमन, जिसमें परामर्श शुल्क और अनुवर्ती परामर्श शुल्क शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अतिरिक्त, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) और अधिसूचित नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियमावली, 2012, जिनमें 2018 और 2020 में संशोधन किया गया, मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बलों के अधीन नैदानिक स्थापनों को छोड़कर) तथा निजी नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का प्रावधान करते हैं। सीई अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापनों को उनके द्वारा प्रदत्त प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए न्यूनतम मानकों की शर्तें पूरी करना अनिवार्य हैं। सीई अधिनियम को 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा (12 राज्यों, अर्थात्, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी) अंगीकृत किया गया है ।

नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सीई नियमों में, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नैदानिक स्थापन रोगियों के हित में प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए निर्धारित शुल्क तथा उपलब्ध सुविधाओं का विवरण स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेंगे तथा प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया एवं सेवाओं के लिए निर्धारित दरों की सीमा के भीतर ही शुल्क लेंगे। दरों की सीमा निर्धारित करने का मामला वर्तमान में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद् (वर्तमान में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) द्वारा बनाए गए भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 की धारा 1.8 में यह उपबंध किया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय करने वाला प्रत्येक चिकित्सक रोगियों के हितों को प्राथमिकता देगा तथा चिकित्सक के व्यक्तिगत वित्तीय हित और रोगियों के चिकित्सीय हितों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

विनियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक सेवाएं प्रदान करने से पूर्व अपने फीस के संबंध में रोगी को अवगत कराएगा तथा ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक उसी स्वरूप एवं राशि के अनुसार होगा, जिसकी पूर्व सूचना सेवा प्रदान किए जाने के समय रोगी को दी गई हो।
